-1-

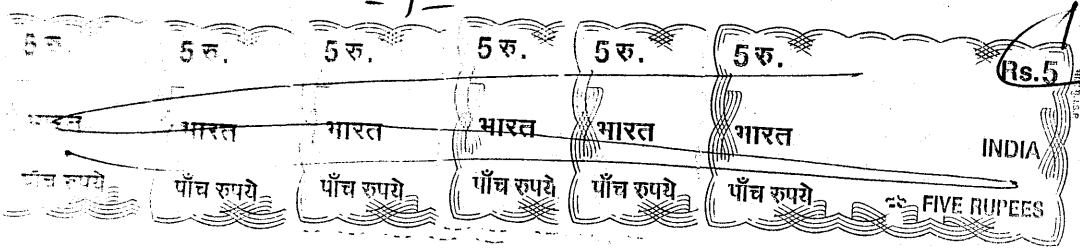

5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5
भारत भारत भारत भारत भारत भारत INDIA
पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये पाँच रुपये FIVE RUPEES

148

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

R 3815-II/16

निगरानी प्रकरण कमांक -दो/2016

459
7.11.16

दिनांक 7-11-16 को श्री जी. पी. नायक अभि० 612 प्रस्तुत।

क
7-11-16

मॅगल सिंह पुत्र गणेश जू यादव

ग्राम खिरिया पुनावली

तहसील करैरा

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - श्रीमान —— तहसीलदार, तहसील करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 40/2015-16 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 26-3-2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ030-2

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 3815–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
16-1-17	यह निगरानी तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 40/2015–16 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 26–03–2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम खिरिया पुनावली की भूमि सर्वे कमांक 693 रकबा 0.64 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 695 रकबा 1.67 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.31 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का आवेदक मंगल सिंह पुत्र गणेश जू यादव वर्ष 1989–90 से शासकीय अभिलेख में रिकार्डेड भूमिस्वामी अंकित चला आ रहा है क्योंकि तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 199/ 1989–90 अ–19 में पारित आदेश दिनॉक 30–11–1990 से आवेदक को वादग्रस्त भूमि व्यवस्थापित की है । निगरानी मेमो के तथ्यों अनुसार वर्ष 2007 में पदस्थ रहे पटवारी ने आवेदक से 2 क्विंटल गेहूँ की मांग करने पर एंव आवेदक के गेहूँ देने से मना कर देने पर पटवारी ने बिना सक्षम आदेश के एंव आवेदक को सूचना दिये बिना द्वेषवश वर्ष 2007–08 के वाद नवीन खसरा बनाते समय उसका नाम शासकीय अभिलेख से विलोपित करके भूमि शासकीय अंकित कर दी, जिसका पता आवेदक को तब चला, जबकि वह बैंक में ऋण	

लेने गया एंव बैंकर्स ने चालू खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी, जिसे लेने पर उसे भूमि शासकीय दर्ज होना वर्तमान पटवारी ने बताया। आवेदक ने तहसीलदार करैरा को आवेदन देकर गलत इन्द्राज दुरूस्ती की मांग की, किन्तु तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 40/2015–16 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 26–03–2016 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषकएंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–3–16 का है जिसके विरूद्व निगरानी 7–11–16 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय। आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया है जिसमें वर्णित तथ्य सही है इसलिये विलम्ब क्षमा कर मामले का निराकरण गुणदोष पर किया जाय।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के कम में तहसीलदार करैरा के आदेश दिनांक 26–3–16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने आवेदक व्दारा प्रस्तुत अभिलेख को देखकर एकपक्षीय आदेश पारित किया है जिसके कारण अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभावना पर आधारित होना

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 3815–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	पाया गया है। 5/ आवेदक एंव शासन पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से तथा खसरा पंचशाला वर्ष 1989–90 लगायत 2007–08 की प्रविष्टि के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि खसरे में तहसीलदार के प्रकरण कमांक 199 अ–19/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 30–11–90 से आवेदक को ग्राम खिरिया पुनावली की भूमि सर्वे कमांक 693 रकबा 0.64 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 695 रकबा 1.67 हैक्टर कुल रकबा 2.31 हैक्टर भूमि का पटटा प्रदान करने की प्रविष्टि है और वर्ष 1989–90 से निरन्तर खसरा वर्ष 2007–08 तक उक्त भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों से मंगल सिंह पुत्र गणेश जू यादव उक्त भूमि का भूमिस्वामी होकर कृषक है। तहसील व्दारा जारी खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि के खण्डन पर अनावेदक के अभिभाषक मौन रहे हैं। ऐसा आभाषित है कि तहसीलदार करैरा ने प्रकरण कमांक 40 अ–6–अ/ 2015–16 में आदेश दिनांक 26–3–2016 पारित करते समय उक्त अभिलेखों की अनदेखी की है, जबकि वर्ष 1989–90 लगायत वर्ष 2007–08 तक के मूल खसरे तहसील में अथवा जिला रिकार्ड रूम में उपलब्ध रहे हैं किन्तु तहसीलदार व्दारा मूल खसरा मॅगाकर देखने का प्रयास करना नहीं पाया गया है,	

जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–3–16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ तहसील न्यायालय से आवेदक को जारी की गई खसरा पॅचशाला वर्ष 1989–90 से खसरा वर्ष 2007–08 तक कीप्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है इन अभिलेखों की अनदेखी करते हुये आदेश दिनांक 26–3–2016 पारित करते समय तहसीलदार करैरा की क्या शोच रही है अनुमान लगाना संभव नहीं है, किन्तु आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय लेकर शासकीय दर्ज बनाये रखना नियमानुकूल कार्यवाही नहीं मानी जा सकती है, जिसके कारण तहसीलदार करैरा व्दारा पारित आदेश दिनांक 26–3–16 त्रृटिपूर्ण है।

7/ खसरा पॅचशाला वर्ष 1989–90 लगायत 2007–08 की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ तहसील करैरा से आवेदक को प्रदान की गई हैं। इस सम्बन्ध में म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 117 इस प्रकार है :–

" धारा 117 – भू अभिलेखों में की प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधाणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। "

गंभीर सिंह तथा अन्य वि. कल्याण तथा अन्य 2000 रा0नि0 61 में न्यायमूर्ति श्री आर0पी0गुप्ता (हा0को0) ने व्यवस्था दी है कि (यद्वपि राजस्व लेखों की प्रविष्टियां खण्डन करने योग्य हैं परन्तु यदि प्रविष्टि का खण्डन नहीं होता है तो

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 3815–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के
	उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा। जब दशकों से निरन्तर प्रविष्टि चली आ रही है तो उसके सही होने का अनुमान किया जायेगा). गनी खान वि. अपना वाई 1883 एम0पी0एल0जे0 304 = 1983 रा.नि. 213 में मान. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि (जब खसरा की प्रतिलिपि उचित रूप से सत्य प्रमाणित हो और नियमानुसार दी गई हो तो साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य होगी). विचाराधीन प्रकरण में भी उक्तानुसार स्थिति है एंव शासन के पैनल लायर प्रस्तुत अभिलेख का खण्डन भी नहीं कर सके हैं शासकीय अभिलेख अद्यतन रखने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का है। गणेशी लाल जैन विरूद्ध म0प्र0राज्य 2004 रा0नि0 329, A.I.R. 1969 S.C. 1297 तथा 1998(1) M.P.W.N. 26 के न्याय दृष्टांत हैं कि संबत 2007 (सन 1950) से महिला सरवती वाई का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होकर 1961 तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा। आवेदिका भूमिस्वामी है। भूमि आवेदक के स्वत्व एंव आधिपत्य की मानी गई। यही स्थिति विचाराधीन प्रकरण की है क्योंकि वादग्रस्त भूमि खसरा पॅचशाला वर्ष 1989–90 लगायत 2007–08 में निरन्तर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व दर्ज चली आ रही है जिसके कारण वह वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड भूमिस्वामी होना प्रमाणित है। फलतः तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी	

व्दारा प्र0क0 40/2015-16 अ-6-अ में पारित दिनांक 26-3-16 अभिलेखीय छानबीन पर आधारित न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वर्ष 1990 में भूमि पटटे पर मिलने के वाद भूमि का तत्समस के हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर कब्जा दिया था। आवेदक ने भूमि उबड़-खाबड़ से समतल बनायी है जिसमें काफी मेहनत की गई है। सिंचाई साधन बनाने में बहुत सारा धन खर्च किया है, यदि वर्ष 1990 में दी गई भूमि उनसे वर्ष 2016 में (26 वर्ष वाद) हलका पटवारी व्दारा अपलेखन की त्रृटि को सत्य मानकर वापिस ली जाती है तब आवेदक को परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जावेगा, क्योंकि आवेदक पिछड़े वर्ग की जाति की होकर कृषि श्रमिक है । आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय -

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की सकती - प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्व नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त । तत्पश्चात् आवन्टन रद्व नहीं किया जा सकता।

पाया गया कि खसरा पॅचशाला वर्ष 1989-90 लगायत 2007-08 तक निरन्तर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही वादग्रस्त भूमि का नवीन खसरा बनाते समय

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ .....
निगरानी प्रकरण कमांक 3815–दो/2016 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
	हलका पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश प्राप्त किये भूमि शासकीय दर्ज की है, जिसके कारण आवेदक को व्यर्थ मुकदमेवाजी में उलझलना पड़ा है । 8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 40/2015–16 अ–6–अ में पारित आदेश दिनांक 26–3–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार करैरा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खिरिया पुनावली की भूमि सर्वे कमांक 693 रकबा 0.64 हैक्टर एंव सर्वे कमांक 695 रकबा 1.67 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.31 हैक्टर पर आवेदक मंगल सिंह पुत्र गणेश जू यादव का नाम चालू वर्ष के खसरे (कम्प्यूटराईज्ड खसरा सहित) में भूमिस्वामी के रूप में अंकित करावें। सदस्य	